कार्यालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन म0प्र0

—: जिला न्यायालय रायसेन में अस्थायी रूप से एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु विज्ञप्ति :—

कमांक 56 / तीन–9 / 64 / 2024 रायसेन, दिनांक 8-1-2025

जिला न्यायालय रायसेन में अस्थायी रूप से 01 वर्ष की अवधि हेतु एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क सेंटर संचालन के लिए इच्छुक कियोस्क संचालकों से निर्धारित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 22/01/2025 के सायंकाल 5.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र निर्धारित शर्तें तथा नियत दरों की सूची नजारत अनुभाग जिला न्यायालय रायसेन से रूपये 250/– का आवेदन शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है।

आवेदन पत्र, शर्ते एवं नियत दर सूची म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट https://mphc.gov.in/ तथा जिला न्यायालय रायसेन की वेबसाईट raisen.dcourts.gov.in/ पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

इच्छुक कियोस्क संचालक निर्धारित शर्तों तथा नियत दरों पर कार्य करने की सहमति के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर उल्लेखित जमा राशि की मूल एफ.डी.आर. संलग्न कर बंद लिफाफे में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन में नियत दिनांक तक प्रस्तुत कर सकते है।

8/1/2025

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन म0प्र0

–: **आवेदन पत्र का प्रारूप** :–

1. आवेदक का नाम ....

2. आधारकार्ड / पेनकार्ड / वोटर आई.डी. अन्य शासकीय दस्तावेज की प्रति एवं नंबर

....

3. पिता / पति का नाम ....

4. पता एवं मोबाइल नम्बर..

....

5. सुरक्षा निधि की जानकारी : एफ.डी.आर.नं. ....

बैंक का नाम ....

6. कियोस्य पंजीयन कमांक :..

(कियोस्क संचालन के लायसेंस एवं तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

7. कियोस्क संचालन का वर्तमान पता...

....

8. कियोस्क के वॉलेट से जुड़े बैंक संव्यवहार का खाता कमांक, नाम एवं जमा राशि..

....

(कियोस्क संचालन के संबंध में बैंक से किए गए ऑनलाइन संव्यवहार की पिछले तीन वर्ष की छायाप्रति संलग्न है)

–:: **घोषणा–पत्र** ::–

मैं ....यह घोषणा करता / करती हूं कि मैंने जिला न्यायालय रायसेन में अस्थायी रूप से एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क सेंटर संचालन करने के संबंध में सभी शर्तों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया है तथा मेरे द्वारा उपरोक्त बिन्दु कमांक 01 से 08 तक जो जानकारी भरकर तथा संलग्न कर प्रस्तुत की है वह पूर्ण रूप से सत्य व सही है।

रायसेन, दिनांक :

हस्ताक्षर...

नाम पता मो.नं..................................

—: एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क संचालन हेतु शर्तें :—

1. जिला न्यायालय परिसर रायसेन में एम.पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क / पोर्टल को संचालित करने हेतु आवेदन करते समय रूपये 30,000 / —(रूपये तीस हजार) की जमा राशि / सुरक्षा निधि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करवानी होगी।

2. सफल आवेदनकर्ता के अलावा शेष आवेदनकर्ताओं से प्राप्त हुई जमा राशि / सुरक्षा निधि कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ताओं को वापिस कर दी जावेगी।

3. एम.पी. ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क / पोर्टल को संचालित करने हेतु स्थान के रूप में 9 बाय 10 फीट की जगह उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें उसे अस्थायी टीनशेड का निर्माण स्वयं व्यय पर कराना होगा। उक्त अस्थायी शेड में बिजली जिला न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. सफल आवेदक को न्यायालय परिसर में एक वर्ष के लिए सेंटर के संचालन की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात समयावधि बढ़ाए जाने का निर्णय समय—समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जावेगा।

5. आवेदक के पास कम से कम तीन वर्ष का कियोस्क संचालन का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन करते समय लायसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

6. सफल आवेदनकर्ता को कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, इंटरनेट सुविधा, बॉयोमैट्रिक डिवाईस, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के व्यय करनी होगी। इसके अतिरिक्त सफल आवेदनकर्ता को पी.ओ.एस. मशीन एवं क्यू.आर. कोड रखना अनिवार्य है। उक्त समस्त उपकरणों के रख—रखाव एवं सुरक्षा का दायित्व सफल आवेदनकर्ता का ही रहेगा।

7. सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो राशि रूपये के माध्यम से जिला न्यायालय में स्थापित एम.पी. ऑनलाइन सेंटर में जमा हो रही है उसे किसी भी स्थिति में न्यायालय परिसर में नहीं रखा जाकर प्रतिदिन बैंक में जमा करवाना आवश्यक होगा।

8. आवेदनकर्ताओं को एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से बैंक में किए गए लेनदेन का तीन साल का स्टेटमेंट एवं आवेदन दिनांक में वॉलेट में जमा राशि की जानकारी प्रदान करना होगा।

9. सफल आवेदनकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिवस के भीतर एम.पी. ऑनलाइन वॉलेट में कम से कम राशि 5,00,000 / — (पांच लाख) रूपये रखे होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

10. सफल आवेदनकर्ता को जिला न्यायालय में स्थापित होने वाले एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क में कम से कम 02 कर्मचारियों की न्यायालयीन कार्य दिवस या जब प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आदेशित किया जाए, की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगानी होगी, जिनकी शैक्षिणक योग्यता पी.जी. डी.सी.ए. या उसके समकक्ष हो। किसी भी स्थिति में कर्मचारियों की अनुउपलब्धता के कारण कियोस्क बंद नहीं रखा जाएगा।

11. सफल आवेदनकर्ता को तीन दिवस के अंदर कियोस्क का पता बदलवाकर जिला न्यायालय रायसेन का करवाना होगा। सफल आवेदनकर्ता को सात दिवस के भीतर एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क जिला न्यायालय रायसेन में स्थापित कर प्रारंभ करना होगा।

12. सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवाएं प्रदान करनी होगी। सफल आवेदनकर्ता को दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवाएं बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा की जाना अनिवार्य होगा।

13. यह कि आवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10.30 से सायं 06.00 बजे तक या प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य दिवस पर कियोस्क सेंटर को खोलकर आमजनों को सेवाएं उपलब्ध करवायी जाना आवयश्क होगा।

14. आवेदक कियोस्क सेंटर में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे। जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होगी हो।

15. प्राप्त आवेदन दिनांक 24/01/2025 को 2:00 Pm. बजे छानबीन समिति, जिला न्यायालय रायसेन के समक्ष खोले जायेगें। सफल आवेदनकर्ता का चयन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन को यह अधिकार होगा कि ऑनलाइन कियोस्क सेंटर हेतु दिए गए स्थान से संचालक को किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह के नोटिस पर कियोस्क सेंटर हटाने का आदेश दे सकते है।

17. आवेदन के समय आवेदनकर्ताओं को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध या उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। सफल आवेदनकर्ता का पुलिस वेरीफिकेशन भी करवाया जायेगा।

18. यदि सफल आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता, तय दर से ज्यादा रूपये वसूलने, शासकीय सम्पत्ति को नुकसान करने, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं

अधिवक्तागण / पक्षकारगण से दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है या ऐसा अन्य कोई कार्य जिससे कि शासन के नियमों का उल्लंघन हो, तो कियोस्क संचालक की जमा राशि में से रूपये 1,000/– प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगायी जावेगी। यदि 01 वर्ष में अगर 30 दिन पेनाल्टी लगती है तो आवेदनकर्ता का आवेदन स्वयंमेव निरस्त हो जावेगा एवं उसे 03 दिन में ऑनलाइन कियोस्क सेंटर को नियत स्थान से खाली करना होगा।

19. यदि कियोस्क संचालन के कार्य में अनियमितता / लापरवाही पाई जाती है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

20. सफल आवेदनकर्ता / कियोस्क संचालक के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने या शर्तों का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रधान जिला न्यायाधीश रायसेन का होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन म0प्र0

The details of rates/portal fees is as given below :-

S.No.	Details	Proposed portal Fee	Applucable Taxes	Total	points as per letter
1	Enpuiry of the status	Free	Free	Free	Handing Enpuiries about case status, next date of hearing details
2.1	Apply for certified copy	12.71	2.29	15.00	Facilitate Online Application for certified copies and other such filings
2.2	print Out Charges				Facilitate e-filing of petition in the softwere
a	Upto 5 pages	12.71	2.29	15.00	
b	Above 5 pages (per page cost to be charged)	1.69	0.31	2.00	
3.1	e-filling of petition with court fee upto Rs 1000	101.69	18.31	120.00	
a	Entry on portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	33.90	6.10	40.00	
3.2	e-filling of petition with court fee upto Rs 1001 to 5000	110.17	19.83	130.00	
a	Entry on portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	42.37	7.63	50.00	
3.3	e-filling of petition with court fee above Rs 5000	161.02	28.98	190.00	
a	Entry in portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning upto 35				
4	To assost in online purchase of e-payments/e-court fees	As per point no. 3.1 (c), 3.2 (c) and 3.3 (3)			For payment of online court fees

5	publicize and assist in downloading the mobile app of e-Court for "android" and "ios" operating system	Free	
6	Faci;itate in booking of e-Mulakat appoinment for meeting relatives locked in jail	Free, but for printing the per page cost to be given of Rs. 02	
7	Handing queries about lication of the particular court, its cause-list and whether the case is taken up for hearing or not	Free	
8	Guide peop;e on how to avai; free lega; services from District Legal Service Authority, High Court Legal Service Committee and Supreme Court Lega; Service Commitee	Free	
9	Explain method of arranging and holding a video concerence court hearing	Free	
10	Provide softcopy of judicial orders/judments via email. whatsapp or any other available	soft copy free, but for printing the pages the pages the charge of Rs. 2 pre page to be given	
11	Other queries and assistance in respect of facillties which are digitally which are digitally available under e-court project	Free	
12	Fines/deposits	Rs.10 (portal charges) pre transaction/deposit of fine	